पत्र संख्या/वाहन क्रय-आउटसोर्सिंग से वाहन व्यवस्था/2022-2023 / 3560 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनाँक :: 11 नवम्बर, 2022

सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक्स,

291, सुल्तानपुर रोड, सरसवां,लखनऊ ।

राज्य कर मुख्यालय के आदेश पत्र संख्या–3543 दिनांक–10.11.2022 द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत 100 वाहनों का कार्यालयवार आवंटन जारी किया गया है। लिपिकीय त्रुटीवश कमांक–16 पर रायबरेली खण्ड–11 एवं कमांक–78 पर बस्ती खण्ड–1 अंकित हो गया है।

अतः कमांक–16 पर अंकित रायबरेली खण्ड–11 के स्थान पर लखनऊ खण्ड–11 एवं कमांक–78 पर बस्ती खण्ड–1 के स्थान पर अपर आयुक्त ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर अयोध्या पढा व समझा जाये। आदेश संख्या–3543 दिनांक–10.11.2022 का शेष भाग यथावत रहेगा।

(पी0एन0यादव)

संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर

मुख्यालय,लखनऊ ।

पृष्ठाँकन पत्र संख्या व दिनाँक-उक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर उत्तर प्रदेश को शासन से प्राप्त स्वीकृति एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0 प्र0 के अनुमोदन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सर्वश्री बजरंग लाजिस्टिक्स, 291, सुल्तानपुर रोड, सरसवां,लखनऊ के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर 100 वाहन (SUV) उपरोक्त तालिका में अंकित आपके जोन से संबंधित खण्ड/कार्पोरेट/प्रवर्तन कार्यालय को इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि उस कार्यालय हेतदु प्रत्येक माह के लिये निर्धारित लक्ष्य से 02 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनें का कष्ट करें ।
3. सम्बन्धित अधिकारियों को निविदा शर्तो की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आउटसोर्सिंग वाहनों की सूचना विभागीय माड्युल (Outsoured Vehicle Module) में राजकीय अवकाश की गणना करते हुये प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर

मुख्यालय,लखनऊ ।